न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 61/2020

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. रामस्वरूप उर्फ गोगीराम पुत्र महावीर प्रसाद जाट निवासी मोटासरखूनी तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- दिनांक : 17/09/2021

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 19 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 48/48 के मुरब्बा नम्बर 52, 71, 72, 78/39, 78/60 की कुल 7.817 हैक्टर नहरी बारानी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में 0.294 हैक्टर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 63/63 के मुरब्बा नम्बर 72 की कुल 2.087 हैक्टर नहरी भूमि में 0.116 हैक्टर भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त दोनों खातों में वादी का नाम गोगीराम पुत्र महावीर प्रसाद दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, मोटासरखूनी, में वादी का नाम रामस्वरूप पुत्र महावीर प्रसाद दर्ज है। इसलिए वादी जमाबन्दी में अपना नाम रामस्वरूप उर्फ गोगीराम घोषित करवाना चाहता है। उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम गोगीराम होने के कारण वादी को हर समय भारी परेशानी का सामना करना पडता है। इसके अलावा वादी को भूमि बैंक में रहन रखने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। संबधित विभाग में अपने दो नाम होने के सम्बन्ध में एवं अपनी पहचान बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना पडता है। इस कारण वादी उक्त दोनों खातों की जमाबन्दी में अपना नाम रामस्वरूप उर्फ गोगीराम घोषित करवाना चाहता है। वादी ने इस सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नाम संशोधन करवाना चाहा तो तहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वादपत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी। वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि चक 19 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 48/48 के मुरब्बा नम्बर 52, 71, 72, 78/39, 78/60 की कुल 7.817 हैक्टर नहरी बारानी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से 0.294 हैक्टर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 63/63 के मुरब्बा नम्बर 72 की कुल 2.087 हैक्टर नहरी भूमि में से 0.116 हैक्टर भूमि में दर्ज नाम गोगीराम पुत्र महावीर प्रसाद के स्थान पर रामस्वरूप उर्फ गोगीराम पुत्र महावीर प्रसाद लिखे जाने के आदेश फरमावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया [illegible] को जरिए सम्मन तलब किया गया। पैराकार राज के द्वारा [illegible] श्रीकरणपुर से पंत्राक 15797 दिनांक 01.07.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार चक 19 एफ एफ की जमाबन्दी [illegible] गोगी राम पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट के नाम खाता संख्या 48/48, 63/63 में [मुरब्बा] नम्बर 52, 71, 72, 78/38, 78/60 में भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। जो कि वादी को जरिये डिक्री नामान्तरण संख्या 282/04.08.1998 व जरिये विरास्तन इन्तकाल संख्या 387/05.08.2006

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:12:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned with CamScanner

से प्राप्त हुई है। उक्त दोनो इन्तकाल मे वादी का नाम गोगीराम पुत्र महावीर प्रसाद अंकित है। मौके पर पूछताछ की गई तो उपस्थितजनों ने बताया कि गोगीराम व रामस्वरूप एक ही व्यक्ति के दो नाम है। इस नाम से अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत मोटासरखूनी के प्रमाण पत्र में भी रामस्वरूप व गोगीराम दोनो एक ही व्यक्ति है। फर्द मौका रिपोर्ट व मौके पर पूछताछ के आधार पर उपस्थितजनों ने बताया कि रामस्वरूप पुत्र महावीर प्रसाद व गोगीराम पुत्र महावीर प्रसाद एक ही व्यक्ति के दो नाम है। साक्ष्यवादी मे स्वयं रामस्वरूप स्वंय उपस्थित आया व शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। पैरोकार के द्वारा साक्ष्यप्रतिवादी पेश नही करने पर बन्द की गई।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र, शपथ पत्र गवाह, जवाब स्टेट पैराकार राज एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर रिपोर्ट का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा चक 19 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 48/48 के मुरब्बा नम्बर 52, 71, 72, 78/39, 78/60 व खाता संख्या 63/63 के मुरब्बा नम्बर 72 में रामस्वरूप उर्फ गोगीराम पुत्र महावीर प्रसाद करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के संलग्न पटवारी हल्का मोटासरखूनी फर्दमौका मुताबिक रामस्वरूप व गोगीराम एक ही व्यक्ति के दो नाम है, इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, मोटासरखूनी में नाम रामस्वरूप पुत्र महावीर प्रसाद अंकित है। उक्त दोनो खातो की जमाबन्दी में वादी का नाम गोगी राम पुत्र महावीर प्रसाद दर्ज है। अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 19 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 48/48 के मुरब्बा नम्बर 52, 71, 72, 78/39, 78/60 व खाता संख्या 63/63 के मुरब्बा नम्बर 72 में अंकित नाम गोगीराम पुत्र महावीर प्रसाद के स्थान पर गोगीराम उर्फ रामस्वरूप पुत्र महावीर प्रसाद अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 17/09/2021 को मेरे द्वारा लिखवाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:12:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.
रामस्वरूप उर्फ गोगीराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 61/2020
निर्णय दिनांक :-17.09.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **अधिवक्ता वादी श्री इन्द्रजीत सिंह, बलवीर सिंह** पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 19 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 48/48 के मुरब्बा नम्बर 52, 71, 72, 78/39, 78/60 व खाता संख्या 63/63 के मुरब्बा नम्बर 72 में अंकित नाम गोगीराम पुत्र महावीर प्रसाद के स्थान पर गोगीराम उर्फ रामस्वरूप पुत्र महावीर प्रसाद अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 17/09/2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः राजस्व/ 2021/352 दिनांक: 17/09/2021
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:12:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Scanned with CamScanner